



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22122021-232070
CG-DL-E-22122021-232070

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4947]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 22, 2021/पौष 1, 1943

No. 4947]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 22, 2021/PAUSA 1, 1943

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5338(अ).—राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धारा 6 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री यमल व्यास को उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) के निदेशक मंडल में निदेशक के पद पर नियुक्त करती है, बशर्ते कि वे एनएचबी के बोर्ड में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अन्य वित्तीय संस्था(ओं) के बोर्ड से इस्तीफा दे देंगे।

[फा. सं. 24/17/2010-आईएफ-II]

ललित कुमार, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st December, 2021

S.O. 5338(E).—In exercise of the powers conferred by Clause (b) of Sub-Section (1) of Section 6 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987), the Central Government hereby appoints Shri Yamal Vyas as a Director on the Board of Directors of National Housing Bank (NHB) for a period of three years from the date of notification of his appointment, or until further orders, whichever is earlier subject to the condition that he will resign from the Board of any other financial Institutions(s) before the joining the Board of NHB.

[F. No. 24/17/2010-IF.II]

LALIT KUMAR, Economic Adviser